

सामान्य श्रेणी के लिए

BHS-11

5-
**GREATER
NOIDA**
C · I · T · Y
Planned with an obsession.

63

गेटर नोएडा प्रस्तुत करते हैं...



आपके सपनों का घर

बहुत ही आकर्षक मूल्य पर ।



62

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

चाई-फाई, म्यू-1, ज्यू-1, बीटा-1, जीटा-1, सेक्टर-3 एवं स्वर्णनगरी में क्षेत्रफल 30.00 वर्गमीटर के पूर्ण विकसित एवं निर्मित चार मंजिले भवनों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

महत्वपूर्ण तिथियां

योजना आरम्भ होने की तिथि – 15.01.2009

योजना समापन की तिथि – 14.02.2009

ड्रा ऑफ लॉटस मई 2009 में कराया जाना संभावित है।

प्रस्तावित पूर्ण विकसित भवनों के लिए आवंटन की नियम व शर्तें

ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय सेक्टर चाई-फाई, म्यू-1, ज्यू-1, बीटा-1, सैक्टर-3, जीटा-1 एवं स्वर्णनगरी में लो-कॉस्ट 30.00 वर्ग मीटर के पूर्ण विकसित चार मंजिले भवनों के विभिन्न तलों पर भवन आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

ए योजना का विवरण

ए-1 योजना का नाम/कोड: बी.एच.एस. 11

ए-2 भवनों का विवरण

क्रम संख्या	सैक्टर	भवनों की संख्या (लगभग)		निर्मित बिल्टअप क्षेत्रफल/ भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	भवन की संभावित लागत (रु0 लाख में)		पंजीयन धनराशि (प्रत्येक तल हेतु) रूपये में
		सामान्य श्रेणी	कृषक श्रेणी		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय	भू-तल	
1.	चाई-फाई	607	129	30.00	3.30	3.95	35,000/-
2.	म्यू-1	309	87	30.00	3.30	3.95	35,000/-
3.	ज्यू-1	528	112	30.00	3.30	3.95	35,000/-
4.	बीटा-1	106	22	30.00	3.30	3.95	35,000/-
5.	जीटा-1	515	109	30.00	3.30	3.95	35,000/-
6.	सैक्टर-3	515	109	30.00	3.30	3.95	35,000/-
7.	स्वर्णनगरी	422	90	30.00	3.30	3.95	35,000/-
कुल भवनों की संख्या		3002	658				

भवनों का कब्जा आवंटन तिथि से 3 वर्ष के अंदर ऑफर किया जाना संभावित है।

- किसी तल हेतु वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी। भवन ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- **भवनों की अन्तिम लागत**

उपरोक्त प्रस्तर में जो मूल्य दर्शाये गये हैं, वे पूर्णतः अनुमानित हैं। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अन्तिम मूल्य निकाला जायेगा और वही मूल्य आवंटि को मान्य होगा। उपरोक्त भवन की कुल लागत भवनों की वास्तविक आच्छादित क्षेत्रफल के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। भू-अधिग्रहण एवं विकास की लागत यदि बढ़ती है तो ऐसी बढ़ी हुई लागत को आवंटि को अनुपातिक रूप में वहन करना होगा। यदि वास्तविक मूल्य घोषित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो आवंटि को यह अधिकार होगा कि वह भवन को समर्पित कर दें। ऐसे समर्पण की दशा में आवंटि की सम्पूर्ण जमा धनराशि मय 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस कर दी जायेगी।



61

ए-3 भुगतान योजना

• नगद भुगतान (कोड ए-1)

इस योजनान्तर्गत भवन के कुल प्रीमियम राशि आबंटन-पत्र निर्गत होने के 60 दिनों के भीतर, बगैर ब्याज के, जमा कराया जाना होगा।

• पन्द्रह वर्षीय ब्याज सहित भुगतान योजना (कोड ए-2)

भवन के कुल प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत (पंजीयन धनराशि के समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर देय होगा। शेष 80 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि और आवंटन राशि के समायोजन के उपरान्त) 15 वर्षीय मासिक किश्तों में मय ब्याज @ 9.5 प्रतिशत वार्षिक देय होंगी। यदि मूल आबंटी निर्धारित 180 मासिक किश्तों में से प्रथम 150 मासिक किश्तों का नियमित भुगतान प्राधिकरण कोष में जमा कराता है तो उसे शेष 30 किश्तों में निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत ही जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत की छूट मूल आबंटी को अनुमन्य की जायेगी। आशय यह है कि मूल आबंटी यदि 150 किश्तों की नियमित अदायगी के पूर्व भवन का हस्तांतरण किसी अन्य को कर देता है तो अन्तरिकी को यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।

नोट:

1. आवेदकों के सुलभ संदर्भ हेतु पंजीकरण धनराशि, आवेदन राशि तथा विभिन्न भुगतान योजना की देय/किश्त धनराशि तालिका पर उपलब्ध है।
2. इस प्रपत्र के संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा एवं पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि को कब्जा हस्तान्तरण तिथि माना जायेगा।

ए-4 भुगतान विधि:

सभी भुगतान प्राधिकरण को ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/प्रेषणादेश, जो ग्रेटर नौएडा, नौएडा एवं नई दिल्ली पर देय हों के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए अधिकृत बैंक शाखा द्वारा भुगतान सीधे ही स्वीकार किये जायेंगे।

सामान्यतः भुगतान हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तरण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तरण की दशा में 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जिसका ऑकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाएगा, की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

ए-5 क्षेत्रफल

आवंटित भवन का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में भवन का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त जमा धनराशि मय 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

ए-6 भवनों के आवंटन हेतु विधि

निर्मित भवनों का आवंटन ज्ञा के माध्यम से माह मई 2009 में किया जायेगा। ज्ञा की तिथियां, समय एवं स्थल की सूचना जनसाधारण को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समाचार पत्रों में दी जायेगी।

अनुभाग-(II)

बी-1 ग्राह्यता

1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो।
2. आवेदक/उसके पत्नी/पति के नाम, अथवा उसके अवयस्क आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा रिहायशी मकान पट्टाधिकार पर अथवा फ्रीहोल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टीनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र में आबंटित नहीं होना चाहिए। परन्तु यह शर्त ग्रेटर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में निवास करने ऐसे ग्रामों के कृषकों पर लागू नहीं होंगी। जो अधिसूचना संख्या 2053 भाउ/18-11-107 भा/85 दिनांक 28.01.1991 एवं अधिसूचना संख्या 029/77-4-107 भा/05 दिनांक 07.05.1999 के मध्य में अधिसूचित क्षेत्र में शामिल थे तथा शेष अन्य कृषकों/आवेदकों पर लागू होगी।
3. एक आवेदक/उसके पत्नी/पति अथवा उसके आश्रित बच्चे/आश्रित माता/आश्रित पिता एक ही भवन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी परिवार के अथवा उस पर आश्रित सदस्यों के पक्ष में एक से अधिक आवंटन हो जाता है तो यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के भीतर उक्त तथ्यों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें और अतिरिक्त आवंटनों का निरस्तीकरण करवा लें अन्यथा प्राधिकरण इस ब्रोशर में मुद्रित क्लोज जी के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होगा।

बी-2 आरक्षण

क्र०	आरक्षण श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	अर्ह कृषक जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1.4.2002 को या उसके पश्चात अधिग्रहित / सीधे क्रय कर ली गई हो	17.5%

उक्त श्रेणी में 18 प्रतिशत के आवंटन में इस श्रेणी के उ.प्र. राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। यदि उक्त श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक 18 प्रतिशत से कम होते हैं तो शेष भवन उस श्रेणी के अनारक्षित आवेदकों (कृषक) के मध्य आवंटित कर दिये जायेंगे। यदि फिर भी कृषक श्रेणी के अर्ह आवेदकों की संख्या कम रहती है तो शेष भवन अनारक्षित (सामान्य श्रेणी) के आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।

आरक्षण की शर्तें

अर्ह कृषकों के लिए-

1. कृषक श्रेणी के आवेदकों को निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर 17.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।
 - 1.1 ऐसे कृषक जिनकी भूमि दिनांक 1.4.2002 को अथवा उसके पश्चात अधिग्रहित/सीधे क्रय की गयी हो एवं उस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो (प्रतिभु-पत्र रुपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप-1 के अनुसार जो कि आवेदन फार्म के साथ संलग्न है, देना अनिवार्य हैं)।
 - 1.2 यदि किसी कृषक को उक्त आरक्षण के अंतर्गत पूर्व में आवासीय भूखण्ड/भवन आवंटित किया जा चुका है तो वे इस योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
 - 1.3 यदि किसी खाते में एक से अधिक सह-खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह-खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। इन समस्त सह-खातेदारों के मध्य द्वा करके एक सफल सह-खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सहखातेदार को योजना के द्वा आफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।



66

- 1.4 इस आरक्षण के अन्तर्गत आबंटित भवनों का हस्तांतरण आबंटन की तिथि से पांच वर्ष तक अनुमन्य नहीं होगा।
- 1.5 अधिग्रहित भूमि पर कोई अनाधिकृत/अवैध कब्जा न किया गया हो। इस आशय का शपथ-पत्र (प्रारूप-2 पर) प्रस्तुत करना होगा।
- 1.6 आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
- 1.7 सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण है अथवा सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है/कब्जा नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त कर पंजीयन धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
- 1.8 उन्हीं कृषकों को आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी जो ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के मूल निवासी हों अर्थात् जिन्हें प्रतिकर भुगतान के समय Rehabilitation Bonus के रूप में उन्हें 15 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

सी-1 आवंटन की प्रक्रिया-

आवेदन प्रपत्र सहित बोशर, रुपये 250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र, कर सहित) के नकद भुगतान पर पैरा सी-2 में उल्लिखित बैंक/शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है।

सी-2 पंजीकरण

अपनी ग्राह्यता के अनुसार आवेदकों को संलग्न आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करना होगा और अपने आवेदन के साथ ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/नई दिल्ली पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/प्रेषणादेश संलग्न करना होगा। पूर्ण आवेदन पत्र निम्न बैंक/शाखाओं में जमा किया जा सकता है।

अर्ह कृषकों के लिए

क्र.सं.	कोड संख्या	बैंक का नाम
1	01	देना बैंक, कैलाश हॉस्पिटल कॉम्प्लैक्स, नॉलेजपार्क-1, ग्रेटर नौएडा।

अर्ह सामान्य आवेदकों के लिए-

क्र.सं.	कोड संख्या	बैंक का नाम
1	02	केनरा बैंक, जगत फार्म, गामा शॉपिंग मॉल, गामा-2, ग्रेटर नौएडा
2	03	ओरियेन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-20, नौएडा
3	04	बैंक आफ बड़ौदा, सेक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा
4	05	पंजाब नेशनल बैंक, अल्फा-2, ग्रेटर नौएडा
5	06	इण्डियन बैंक, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
6	07	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सेक्टर-18, नौएडा
7	08	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सेक्टर-62, नौएडा
8	09	विजया बैंक, सेक्टर-19, नौएडा
9	10	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर 18, नौएडा
10	11	एच.डी.एफ.सी. बैंक, अल्फा कमर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नौएडा
11	12	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, अल्फा कमर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नौएडा

अनुभाग- (III)

- डी जैसे हैं जहां हैं के आधार पर:
क्रेता द्वारा भवन 'जैसे हैं जहां है के आधार' पर 90 वर्ष के पट्टे पर, जिसकी अवधि पट्टा प्रलेख की तिथि से प्रारंभ होगी, स्वीकार किये जायेंगे।
- ई समर्पण
- ई-1 आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी।
- ई-2 आवंटन के उपरान्त आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर आवंटन समर्पण पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- ई-3 आवंटन के उपरान्त आवंटन तिथि से 45 दिन से 6 माह के अन्दर आवंटन समर्पण पर कुल प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जायेगा। कटौती के पश्चात शेष राशि बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। इसके लिए पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- एफ उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जी

निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा-

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
3. आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1,2 व 3) के अन्तर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुभाग (IV)

एच. पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया:

भवन का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया लीजडीड निष्पादन/कब्जा लेने से पूर्व भवन के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।

आई पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन

आवंटी को आवंटन तिथि से तीन वर्ष के अन्दर कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत अनुबन्ध करना होगा और भवन का कब्जा निर्धारित अवधि के भीतर लेना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को कुल प्रीमियम का एक प्रतिशत की दर के अनुसार प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।



59

जे दस्तावेजी प्रभार

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

के गिरवी रखना:

आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर पट्टा प्रलेख निष्पादन के पश्चात किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु फ्लैट/भवन गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा।

इसके साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड/भवन की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्ववर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा।

पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञाप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।

अनुभाग— (V)

एल भवन का हस्तांतरण

एल-1 कानूनी उत्तराधिकारी:

आवंटी की मृत्यु हो जाने की दशा में कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में भवन के हस्तांतरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

एल-2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त आवंटी द्वारा भवन का हस्तांतरण

कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को भवन के हस्तांतरण की अनुमति, लीजडीड निष्पादन के उपरान्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। भवन के इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तांतरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

एम— दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि:

भवन का प्रयोग रिहायश के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

एन— करों के भुगतान का दायित्व:


आवंटी/पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार भूखण्ड/भवन अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

ओ— भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु:

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय भवन के अंतर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज का तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय भूखण्ड/भवन के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी भवन के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

पी— अनुरक्षण

1. आवंटी पानी, सीवर व विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त करेगा।
2. आवंटी आवंटित भवन तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ-सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा। यदि आवंटित भवन ऐसे परिसर में हैं जहां अन्य भवन भी निर्मित हैं तो आवंटी अन्य आवंटियों के साथ अनुरक्षण अभिकरण की संरचना करेगा जो पूर्ण परिसर को साफ-सुथरा एवं अच्छी स्थिति में अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।
3. आवंटी को भवन, भूखण्ड तथा सन्निकट क्षेत्र के अनुरक्षण के संबंध में जारी प्राधिकरण के निर्देशों एवं साथ-साथ इस संबंध में नगरीय सेवाओं के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
4. प्राधिकरण की नियम व शर्तों के अनुपालन न होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझा जायेगा वैसी दण्ड लगा सके।
5. यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है उस दशा में प्राधिकरण उचित अनुरक्षण करवाकर जो भी व्यय होगा, आवंटी से संयुक्त रूप में तथा/अथवा पृथक-पृथक रूप में वसूल करेगा। अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
6. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
7. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।
8. आवंटी/पट्टाधारक/उप पट्टाधारक प्राधिकरण के ऐसे निर्देशों, उपनियमों, भवन नियमावली नियमों एवं दिशा निर्देशों जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 के अनुच्छेद 8, 9 तथा 10 एवं अन्य प्राविधानों के अंतर्गत जारी किये गये हों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।



अनुभाग- (VI)

क्यू अन्य अनुच्छेद

- क्यू-1 विशेष परिस्थितियों में डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के संशोधन तथा परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- क्यू-2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- क्यू-3 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- क्यू-4 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित भूखण्ड/भवन पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- क्यू-5 आवंटन/पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बंधित जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- क्यू-6 आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, सन् 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगे।
- क्यू-7 आवंटी आवंटित भवन के अतिरिक्त किसी क्षेत्र का प्रयोग/अधिभोग की मांग नहीं करेगा। जहां कहीं खुले क्षेत्र का अधिभोग दिया गया है वहां आवंटी किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा/अथवा स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
- क्यू-8 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें—
प्रबंधक (सम्पत्ति-बीएचएस)
दूरभाष: 011-2326150-152, एक्सटेंशन: 222

प्रारूप-1

प्रतिभुपत्र-1 / शपथ-पत्र

में पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या
..... खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम
..... ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को
प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।
यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आवेदक / शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

तहसीलदार / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



57

प्रारूप-2

प्रतिभुपत्र-2 / शपथ-पत्र

में पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या ...
..... खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम

ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का स्वामी हूं।

यह कि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल

स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को

प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का पूर्ण प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास/निर्माण कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक/शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

उप महाप्रबंधक (परियोजना)/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रस्तावित भवनों की विशिष्टियां

कमरा -1	2.5 मी. X 3.0 मी.
कमरा -2	3.0 मी. X 2.55 मी.
लॉबी	1.28 मी. X 1.0 मी.
बरामदा	1.615 मी. X 0.75 मी.
रसोई घर	1.5 मी. X 1.80 मी.
शौचालय	1.05 मी. X 0.89 मी.
कुर्सी क्षेत्रफल	30.00 वर्ग मी.
भवनों की विशिष्टियां	
संरचना	आर.सी.सी. फ्रेम।
दीवारें	0.23 से.मी. मोटी 1 अनुपात 6 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईंट।
	0.115 से.मी. मोटी 1 अनुपात 4 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईंट।
छत	आर.सी.सी. छत डिजाईन के अनुसार।
फर्श	प्लेन सीमेंट कंक्रीट का फर्श।
खिड़की, दरवाजे	दरवाजे एवं खिड़कियों, लोहे की चौखटें तथा प्लाई के दरवाजे- 02 नग।
शौचालय	भारतीय सीट बिना सिस्टन के।
रसोई-घर	आर.सी.सी. का प्लेटफार्म।
पाईपलाईन एवं टेप	पी.वी.सी. टॉटी एवं आई.एस.आई. मेक की पाईप।
टैरेस	मड फसका एवं ब्रिक टाइल्स।
आन्तरिक सैनेटरी	आई.एस.आई. मार्क पी.वी.सी. पाईप्स।
विद्युतीकरण	पी.वी.सी. पाईप, (बिजली स्विचिस व वायरिंग नहीं)।
रंगाई पुताई	आन्तरिक दीवार, छतों पर चूना की पुताई एवं खिड़की एवं दरवाजों पर एनेमल पेन्ट एवं बाह्य दीवारों पर जलरोधी रंगाई।
आधारभूत संरचना एवं सामूहिक सुविधाएं	जलोत्सारण, मलोत्सारण, जलापूर्ति लाईन, स्ट्रीट लाईटिंग, पार्क, पार्किंग, सड़कें एवं पाथ वे।
अतिरिक्त सुविधाएं	1. सामाजिक कार्यों हेतु सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र।
	2. सार्वजनिक टैरेस।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बी०एच०एस० योजनान्तर्गत आवासीय भवनों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

बैंक की प्रति

योजना कोड

BHS - 11

प्रपत्र क्रमांक संख्या

44103

56

तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--

D D M M Y Y Y Y
तिथि माह वर्ष

आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी से रुपये
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से
निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट / पे-आर्डर / नगद संख्या दिनांक जो
शाखा पर देय है, प्राप्त किया।

पाने की तिथि

बैंक की सील एवं हस्ताक्षर

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बी०एच०एस० योजनान्तर्गत आवासीय भवनों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

आवेदक की प्रति

योजना कोड

BHS - 11

प्रपत्र क्रमांक संख्या

44103

तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--

D D M M Y Y Y Y
तिथि माह वर्ष

आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी से रुपये
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से
निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट / पे-आर्डर / नगद संख्या दिनांक जो
शाखा पर देय है, प्राप्त किया।

पाने की तिथि

बैंक की सील एवं हस्ताक्षर

प्रस्तावित भवनों की विशिष्टियां

कमरा -1	2.5 मी. X 3.0 मी.
कमरा -2	3.0 मी. X 2.55 मी.
लॉबी	1.28 मी. X 1.0 मी.
बरामदा	1.615 मी. X 0.75 मी.
रसोई घर	1.5 मी. X 1.80 मी.
शौचालय	1.05 मी. X 0.89 मी.
कुर्सी क्षेत्रफल	30.00 वर्ग मी.
भवनों की विशिष्टियां	
संरचना	आर.सी.सी. फ्रेम।
दीवारें	0.23 से.मी. मोटी 1 अनुपात 6 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईंट।
	0.115 से.मी. मोटी 1 अनुपात 4 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईंट।
छत	आर.सी.सी. छत डिजाइन के अनुसार।
फर्श	प्लेन सीमेंट कंक्रीट का फर्श।
खिड़की, दरवाजे	दरवाजे एवं खिड़कियों, लोहे की चौखटें तथा प्लाई के दरवाजे- 02 नग।
शौचालय	भारतीय सीट बिना सिस्टन के।
रसोई घर	आर.सी.सी. का प्लेटफार्म।
पाईपलाइन एवं टेप	पी.वी.सी. टॉटी एवं आई.एस.आई. मेक की पाईप।
टैरेस	मड फसका एवं ब्रिक टाइल्स।
आन्तरिक सैनेटरी	आई.एस.आई. मार्क पी.वी.सी. पाईप्स।
विद्युतीकरण	पी.वी.सी. पाईप, (बिजली स्विचिस व वायरिंग नहीं)।
रंगाई पुताई	आन्तरिक दीवार, छतों पर चूना की पुताई एवं खिड़की एवं दरवाजों पर एनेमल पेन्ट एवं बाह्य दीवारों पर जलरोधी रंगाई।
आधारभूत संरचना एवं सामूहिक सुविधाएं	जलोत्सारण, मलोत्सारण, जलापूर्ति लाइन, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क, पार्किंग, सड़कें एवं पाथ वे।
अतिरिक्त सुविधाएं	1. सामाजिक कार्यों हेतु सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र। 2. सार्वजनिक टैरेस।



57

प्रारूप-2

प्रतिभुपत्र-2 / शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या ...
..... खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम

ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल

स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को

प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का पूर्ण प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास/निर्माण कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक / शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

उप महाप्रबंधक (परियोजना) / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रारूप-1

प्रतिभुपत्र-1 / शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या .
..... खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम

.... ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को

प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आवेदक / शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

तहसीलदार / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रस्तावित भवनों की विशिष्टियां

कमरा -1	2.5 मी. X 3.0 मी.
कमरा -2	3.0 मी. X 2.55 मी.
लॉबी	1.28 मी. X 1.0 मी.
बरामदा	1.615 मी. X 0.75 मी.
रसोई घर	1.5 मी. X 1.80 मी.
शौचालय	1.05 मी. X 0.89 मी.
कुर्सी क्षेत्रफल	30.00 वर्ग मी.
भवनों की विशिष्टियां	
संरचना	आर.सी.सी. फ्रेम।
दीवारें	0.23 से.मी. मोटी 1 अनुपात 6 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईट।
	0.115 से.मी. मोटी 1 अनुपात 4 का मसाला एवं प्रथम श्रेणी की ईट।
छत	आर.सी.सी. छत डिजाईन के अनुसार।
फर्श	प्लेन सीमेंट कंक्रीट का फर्श।
खिड़की, दरवाजे	दरवाजे एवं खिड़कियों, लोहे की चौखटें तथा प्लाई के दरवाजे- 02 नग।
शौचालय	भारतीय सीट बिना सिस्टन के।
रसोई घर	आर.सी.सी. का प्लेटफार्म।
पाईपलाईन एवं टेप	पी.वी.सी. टॉटी एवं आई.एस.आई. मेक की पाईप।
टेरेस	मड फसका एवं ब्रिक टाइल्स।
आन्तरिक सैनेटरी	आई.एस.आई. मार्क पी.वी.सी. पाईप्स।
विद्युतीकरण	पी.वी.सी. पाईप, (बिजली स्विचिस व वायरिंग नहीं)।
रंगाई पुताई	आन्तरिक दीवार, छतों पर चूना की पुताई एवं खिड़की एवं दरवाजों पर एनेमल पेन्ट एवं बाह्य दीवारों पर जलरोधी रंगाई।
आधारभूत संरचना एवं सामूहिक सुविधाएं	जलोत्सारण, मलोत्सारण, जलापूर्ति लाईन, स्ट्रीट लाईटिंग, पार्क, पार्किंग, सड़कें एवं पाथ वे।
अतिरिक्त सुविधाएं	1. सामाजिक कार्यों हेतु सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र। 2. सार्वजनिक टैरेस।

कमरा -1
कमरा -2
लॉबी
बरामदा
रसोई घर
शौचालय
कुर्सी क्षेत्रफल
संरचना
दीवारें
छत
फर्श
खिड़की, दरवाजे
शौचालय
रसोई घर
पाईपलाईन एवं टेप
टेरेस
आन्तरिक सैनेटरी
विद्युतीकरण
रंगाई पुताई
आधारभूत संरचना एवं
सामूहिक सुविधाएं
अतिरिक्त सुविधाएं

(ii) Phone No. (if any) फोन नं. (यदि कोई हो)

5. (i) Permanent Address: स्थाई पता

 Pin Code पिन कोड

(ii) Phone No. (if any) फोन नं. (यदि कोई हो)

6. (i) Age उम्र (15.01.09 को) (ii) Marital Status वैवाहिक स्थिति (iii) Sex लिंग

7. (i) Flat area Applied for: आवेदित भवन का आकार
Area 30.00 SQ.M

8. Payment Plan Code भुगतान का तरीका Cashdown / 15 years instalment
नगद-भुगतान / 15 वर्षीय किश्त

9. भुगतान योजना कोड
Payment Plan Code
(Refer Clause A-3 of the Brochure)

10. Details for Refund Cheque to be sent to Unsuccessful Applicant:
(रिफण्ड चैक के भुगतान का ब्यौरा)

Name of Bank and Branch / बैंक का नाम एवं शाखा : _____
Bank Account No / बैंक खाता संख्या: _____

11. Details of Remittance

भुगतान का ब्यौरा :
By Cash / Draft / Pay Order नगद / ड्राफ्ट / पे-आर्डर द्वारा रू० _____
Number / संख्या _____ Dated / दिनांक _____
Drawn on / पारित किया गया _____

12. Documents Attached (write total Number)/ संलग्न दस्तावेजों की संख्या _____

12 (a) संलग्न दस्तावेजों की सूची (कुल संख्या लिखें) (filling application of the back of the form)
1. _____ 2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____ 6. _____

Declaration

I hereby declare that the foregoing information is correct, true and complete to the best of my knowledge and nothing has been concealed/distorted. I further declare that, I fulfill the eligibility condition contained in the Brochure and I have carefully read and understood the terms and conditions of the flats scheme(BHS-11) and hereby agree to abide by the same.

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है और इस विषय में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। मैं आगे यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ब्रोशर /आवंटन की नियम एवं शर्तों में वर्णित ग्राह्यता की नियम व शर्तें पूर्ण करता/ करती हूँ तथा मैंने इस भवन योजना (बी०एच०एस०-11) की सभी नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने में सहमती करता/ करती हूँ।


Date : तिथि

(Signature/Thumb Impression of applicant)
(आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

(Kindly see overleaf for instruction / कृपया निर्देशों हेतु पीछे देखें।)

SS

30 वर्ग मीटर भवन का यूनिट डिज़ाइन (UNIT DESIGN OF FLAT 30 SQM)



BLOCK DESIGN